प्रेस-विज्ञप्ति

मतदात पहचान कार्ड के साथ अन्य ग्यारह दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग ने किया मान्य

फोटो मतदाता पर्ची का उपयोग अब पहचान सुनिश्चित करने हेतु नहीं किया जा सकेगा

दीव 28 मार्च, 2019: दीव समाहर्ता एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हेमन्त कुमार जी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं के लिए मतदाता कार्ड (EPIC) के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेजों को भी मतदाता के पहचान हेतु मान्य घोषित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि मतदाता कार्ड (EPIC) के अलावा पासपोर्ट (Passport), ड्राईविंग लाईसेंस (D.L.), केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी की गई फोटो सहित सेवा पहचान-पत्र (Service Identity card), बैंक/डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक (Bank Passbook), पैन कार्ड (Pan Card), एन.पी.आर. के तहत आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट-कार्ड (Smart Card), मनरेगा रोजगार कार्ड (MANREGA Employment Card), श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (Health Insurance Smart Card), फोटो दस्तावेज सहित पेंशन दस्तावेज (Pension document), एम.पी./एम.एल.ए./एम.एल.सी. द्वारा जारी कार्यालयीन पहचान-पत्र (Office identity Card) तथा आधार कार्ड (AADHAR Card) को मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे।

इस संदर्भ में यह भी बताया गया है कि पूर्व के चुनावों में आयोग द्वारा पहचान हेतु फोटो मतदाता पर्ची को भी मान्य किया गया था। हालाँकि, पहचान दस्तावेज के रूप में इसका गलत इस्तेमाल किये जाने के विरूद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, क्योंकि ये मतदाता-सूची को अंतिम रूप देने के बाद मुद्रित किये जाते हैं और बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से मतदान क्षेत्र के करीब वितरित किए जाते हैं। फोटो मतदाता पर्ची एक सुरक्षित दस्तावेज की श्रेणी में आती भी नहीं है। वास्तव में, फोटो मतदाता पर्ची को मतदाता कार्ड (EPIC) के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था, जो पूर्णत: उपयुक्त नहीं था।

उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्तमान समय में, लगभग 99 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास मतदाता कार्ड (EPIC) है और लगभग 99 प्रतिशत से अधिक बालिगों को आधार कार्ड जारी किये जा चुके हैं। उपर्युक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मात्र फोटो मतदाता पर्ची को मतदान के लिए पहचान हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, फोटो मतदाता पर्ची को तैयार करना जारी रखा जाएगा और जागरूक बनाने के लिए मतदाताओं को दिये भी जाएंगे। मगर मतदान हेतु मतदाता को मतदाता कार्ड (EPIC) नहीं होने की स्थिति में ग्यारह दस्तावेजों से अपनी पहचान सुनिश्चित कराने के लिए कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। पुन:, विदेशी मतदाताओं को मतदान हेतु अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने पासपोर्ट की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~